UPJS100000572006

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जनपद- झाँसी।

उपस्थित - सृष्टि सुक्ला (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP4682

दाण्डिक वाद सं०- 2211/ 2006

सरकार

. . . . . अभियोजन।

विरुद्ध

1. प्रहलाद पुत्र मौजीलाल।
2. प्रमोद पुत्र ब्रजभान।
3. राजाराम पुत्र नाथूराम।

समस्त निवासीगण ग्राम विक्रमपुरा सानी थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झांसी।

. . . . . अभियुक्तगण।

धारा- 354, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झाँसी।

मु०अ०सं०- C- 3/ 06

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद, मु०अ०सं०- C- 3/ 06, धारा- 354, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना टोड़ीफतेहपुर, जिला झांसी में विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम आख्या के विरुद्ध प्रस्तुत प्रोटेस्ट पेटीशन के आधार पर कायम किया गया। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को दिनांक- 01. 09. 2006 को निरस्त करते हुए मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद को विचारण हेतु तलब किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक- 10. 03. 2006 को समय करीब 6. 00 बजे शाम वादी की पत्नी श्रीमती जमुना देवी प्रहलाद पटेल की राशन की दुकान पर राशन लेने गई और बोली की उसका जो गेहूं का 350/ - रु० जमा है, उसे गेहूं दे दो तो दुकान के अन्दर पहले से ही राजाराम व प्रमोद बैठे थे। तीनों गांजा पी रहे थे एवं नशे की हालत में थे। प्रहलाद पटेल ने वादी की पत्नी से कहा कि बैठ जाओ, वादी की पत्नी दुकान के अन्दर बैठ गई। तीनों दुकान का दरवाजा बन्द करके कहने लगे कि अभी गेहूं देते हैं। वादी की पत्नी चिल्लाई तो तीनों लोगों ने वादी की पत्नी को जबरन पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगे तथा उसकी धोती उतार दी तथा उसका

ब्लाउज फाड़ दिया। शोर करने पर दुकान के सामने हरदास व उनके घर पर बैठे वीरेन्द्र ने घटना को देखा।

3. प्रकरण में वादी दृगपाल द्वारा धारा- 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30. 03. 2006 के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की गयी थी, बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रकरण में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा प्रोटेस्ट पेटीशन प्रस्तुत किया गया था।

4. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आए, उनके द्वारा अपनी जमानतें कराई गईं। तत्पश्चात दिनांक- 10. 02. 2016 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये जिन्हें मानने से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की। आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 दृगपाल व पी०डब्लू०- 2 जमना देवी को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा- 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा कथित अपराध नहीं करने, साक्षीगण के बयान के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है। मुकदमा रंजिशन चलाये जाने एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

7. अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 दृगपाल व पी०डब्लू०- 2 जमना देवी को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के सन्दर्भ में उक्त मौखिक साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन किया जावेगा कि अभियोजन पक्ष उक्त साक्ष्य से अपने कथानक को किस हद तक संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

8. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 1 दृगपाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि *"घटना की तारीख महीना सन मुझे मालूम नहीं है। मेरी पत्नी जमुना देवी राशन लेने प्रहलाद की दुकान पर गयी थी। राशन लेने देने की बात पर प्रहलाद, राजाराम, प्रमोद ने मेरी पत्नी के साथ कहा सुनी गाली गलौच कर दिया था। उसी घटना के संबंध में मैंने न्यायालय के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। प्रहलाद, राजाराम, प्रमोद को मैंने अपनी पत्नी जमुना के साथ मारपीट करते, गाली देते या जान से मारने की धमकी देते नहीं देखा था ना ही उपरोक्त व्यक्तियों को मैंने अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करते देखा था। मैंने गांव वालों के बताये अनुसार दरखास्त दे दी थी।"*

9. **साक्षी पी०डब्लू०- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर कथन किया कि,** *"दरोगा जी ने मेरा कभी कोई बयान नहीं लिया और ना ही कभी गांव में मुआयना करने आये। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी कैसे बनाकर दे दिया। मेरी पत्नी जमुना के साथ अभियुक्तगण प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद के द्वारा कोई छेड़खानी नहीं की गयी थी और न ही मेरी पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौच की थी एवं जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० के बयान पढ़कर बताये गये तो गवाह ने कहा कि दरोगा जी ने कैसे लिख लिये मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। मैं एवं अभियुक्तगण गांव में सदभावपूर्वक रह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। हम आपस में मिलजुलकर गांव में रह रहे हैं तथा हमारा एवं अभियुक्तगणों के मध्य समझौता हो गया है। मेरे ऊपर अभियुक्तगणों के द्वारा भय व डर नहीं दिखाया गया। मैं आज अपना बयान नहीं दे रहा हूं। मैं बाहर मजदूरी करता हूं। यह कहना सही है कि आज मैं जो बयान दे रहा हूं। वह झूंठे नहीं है।"*

10. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 2 जमना देवी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि *" प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद को मैं जानती हूं। मेरे गांव के ही हैं। उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे साथ कोई घटना नहीं की थी। मेरे साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की थी ना गाली दी थी ना ही जान से मारने की धमकी दी थी ना ही मेरे साथ कोई छेड़खानी की थी।"* ***पक्षद्रोही घोषित।***

11. **साक्षी पी०डब्लू०- 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर कथन किया कि,** *" गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था अगर लिख लिये हो तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूं। मेरे पति ने यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध झूंठा लिखवा दिया था। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण के डर व दबाव में आकर सही बात नहीं बता रही हूं। दरोगा जी ने मेरा बयान इस घटना बाबत नहीं लिया था ना ही दरोगा जी मेरे घर पर आये ना ही अभियुक्तगण प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद के द्वारा कोई छेड़खानी मेरे साथ की गयी। मुझे कोई गाली गलौच व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी तथा मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। गांव के व्यक्तियों द्वारा कहने पर मेरे पति ने झूंठा मुकदमा लिखा दिया था। मैं अपने इस मुकदमे में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती हूं। मैं आज अपना बयान सही दे रही हूं। किसी भी व्यक्ति ने मुझे डराया धमकाया नहीं है। यह कहना सही है कि हम व अभियुक्तगण गांव में सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं। मैं अभियुक्तगण के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं।"*

निष्कर्ष

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि, दिनांक- 10. 03. 2006 को समय - 6. 00 बजे शाम व स्थान मकान दुकान ग्राम विक्रमपुरा थाना टोड़ीफतेहपुर, झांसी में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की पत्नी की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी की, उसकी मारपीट की, गाली गलौच की व जान से

मारने की धमकी दी।"

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू०- 2 जो कि प्रकरण में पीड़िता है, को मुख्य परीक्षा के स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। इस साक्षी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के द्वारा स्वंय के साथ कोई अश्लील हरकत नहीं करने, मारपीट न करने, गाली गलौच न देने व जान से मारने की धमकी न दिये जाने के कथन किये गये हैं। साक्षी पी०डब्लू०- 1 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा स्वंय की पत्नी के साथ छेड़छाड़ आदि करते हुए नहीं देखा जाना कहा गया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा अपनी पत्नी के साथ कोई अश्लील हरकत नहीं करने, मारपीट न करने, गाली गलौच न देने व जान से मारने की धमकी न दिये जाने के कथन किये गये हैं। इस प्रकार साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है।

14. साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक से आपराधिक घटना के संबंध में युक्ति- युक्त संदेह से परे तथ्यात्मक बल नहीं मिलता है। अभियोजन की तरफ से अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्तगण के द्वारा ही अधिरोपित अपराध कारित करने का कथन किया हो।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त वर्णित तथ्यात्मक साक्षीगण के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार वर्णित आपराधिक घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप संबंधी तथ्यात्मक संघटक युक्ति- युक्तक संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं।

16. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना है तथा यह भी स्थापित विधि है कि मामला संदेह से परे साबित न किये जाने की स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जायेगा।

17. इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्यों के विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदहे से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

18. अतः अभियुक्तगण प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद को धारा- 354, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक वाद सं०- 2211/ 2006 सरकार बनाम प्रहलाद आदि, मु०अ०सं०- C- 3/ 06, थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झाँसी के मामले में अभियुक्तगण **प्रहलाद, राजाराम व प्रमोद** को धारा 354, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस मामले

में अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा- 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त 25,000/ - रु० का एक प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करे, जो छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे तथा छः माह पश्चात स्वतः निरस्त माने जायेगें। मामले में अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब उपस्थित होंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

दिनांक- 03. 06. 2026

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

दिनांक- 03. 06. 2026

Mohd. Anas
(Steno)